गरासिया जनजातीय महिलायें : लैंगिक भेदभाव एवं प्रस्थिति

डॉ. सीमा पाण्डेय

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करने पर सामाजिक विचारकों व सामाजिक चिन्तकों का ध्यान विश्व की समस्त महिलाओं की समस्याओं की ओर आकर्षित हुआ। इस प्रक्रिया में भारत भी अपवाद नहीं रहा, तभी से भारतीय मानवशास्त्री व समाजशास्त्री भी भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति का मूल्यांकन करने लगे। इस प्रकार के अध्ययन मुख्यत: उच्च व मध्यम वर्ग की शहरी महिलाओं तक ही सीमित थे। अध्ययनों की श्रृंखला में कमजोर वर्ग से सम्बन्धित, विशेष रूप से जनजातीय महिलाओं के जीवन व प्रस्थिति के बारे में हमारी जानकारी नगण्य थी।

तत्पश्चात् महिलाओं की स्थिति को जनजातीय समाज में देखने के लिये विभिन्न समाजशास्त्रियों व मानवशास्त्रियों द्वारा अध्ययन किये गये। इन्हीं अध्ययनों के फलस्वरूप जनजातीय समाज में स्त्रियों की प्रस्थिति के बारे में दो विचारधारायें सामने आई हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि सामान्यत: आदिम या जनजातीय समाजों में स्त्रियों की प्रस्थिति उच्च है, जबकि कुछ की मान्यता है कि आदिम समाजों में महिलाओं की प्रस्थिति निम्न है। (मजूमदार व मदान, 1956)

यह अध्ययन राजस्थान की गरासिया जनजाति की महिलाओं की सामाजिक-सांस्कृतिक प्रस्थिति को निकट से जानने व समझने का एक प्रयास है। उनकी प्रस्थिति व लैंगिक भेदभाव को जानने के लिये, दिन प्रतिदिन के जीवन व विशिष्ट परिस्थितियों में उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य व उनमें महिलाओं की भूमिका व अधिकारों को देखना आवश्यक है। इसी प्रयास को कार्यकारी रूप देने के लिये गरासिया महिलाओं के जीवन की तीन महत्त्वपूर्ण अवस्था यथा बाल्यावस्था, वयस्कावस्था व वृद्धावस्था को उनके सामाजिक पर्यावरण में जाना गया। उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण जानकारी गहन क्षेत्रीय अध्ययन द्वारा प्राप्त प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई है, जिसमें सामग्री को एकत्रित करने के लिये अनुसूची व साक्षात्कार विधियों का सहारा लिया गया है, आवश्यक व सूक्ष्म जानकारियों के लिये सहभागी अवलोकन विधि भी काम में ली गई हैं।

गरासिया राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से एक है। जनसंख्या की दृष्टि से मीणा व भील जनजाति के पश्चात् इसका तीसरा स्थान है। इस प्रकार यह राजस्थान राज्य की तीसरी प्रमुख आदिवासी जाति कही जा सकती है। गरासिया जनजाति का निवास स्थान सिरोही जिले में आबू व पिण्डवाडा तहसील, पाली जिले में बाली तहसील, उदयपुर जिले में कोटडा व गोगून्दा तहसील में मुख्य रूप से है। इसके अतिरिक्त गुजरात राज्य के बनासकंठा व साबरकंठा जिले में भी गरासिया जनजाति निवास करती है।

गरासिया जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों में आज भी मतभेद है। इतिहासकारों के अनुसार गरासिया शब्द तेरहवीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। कुछ विद्वानों का मानना है कि गरासिया शब्द की उत्पत्ति गिराहिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है वन में रहने वाले। गरासिया अपनी उत्पत्ति का स्थान आगू अर्गुदा से मानते हैं। ये लोग अपने आपको सावजी भगवान के वंशज मानते हें। उनके अनुसार शिवजी भारवर बावसी पर्वत भगवान की पुत्री अमिया के प्रेम में पडकर जंगलों में रहे तथा उनकी संतानें गरासियों के ही वंशज थे। अत: गरासिया जंगलों व पर्वतों पर अपने स्वामित्व का दावा करते हैं।

गरासिया अपनी उत्पत्ति मूलत: राजपूतों से मानते हैं, चाहे इन्हें किसी भी नाम से सम्बोधित किया जाये परन्तु इनके राजपूतों के साथ निकटस्थ सम्बन्ध रहे हैं, इस विषय पर सभी विद्वान एकमत हैं।

गरासिया जनजाति में नाभिक एकल व संयुक्त दोनों प्रकार के परिवार पाये जाते है। परिवार में कई भाइयों के होने पर भी माता-पिता छोटे पुत्र के साथ रहते हैं। पुत्र का विवाह होने पर, वह अपना अलग घर बना कर रहता है तथा पिता द्वारा उसके हिस्से की जमीन उसे दे दी जाती है। पुत्र व पुत्री दोनों के जन्मोत्सव व पालन पोषण में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाता, परन्तु पितृसत्तात्मक जनजाति होने के कारण परिवार में पुत्र जन्म को आवश्यक माना जाता है। गरासिया मान्यता के अनुसार, पुत्र ही वंश की परम्परा को आगे बढ़ाता है। एक आदर्श गरासिया परिवार में संतानों की संख्या पांच मानी जाती है। जिसमें तीन पुत्र व दो पुत्रियों को तो आवश्यक माना जाता है, परन्तु अधिकतर परिवारों में यह संख्या आठ से लेकर बारह संतानों तक है।

एक निर्धन जनजाति होने के कारण गरासिया समाज में शिक्षा को आज भी अधिक महत्त्व नहीं दिया जा रहा है। लड़कों को कुछ समय तक विद्यालयों में भेजा जाता है, बहुत ही कम संख्या में लड़कियाँ अध्ययनरत हैं, क्योंकि लड़कियों को विद्यालय में भेजने से गरासिया परिवार की दिनचर्या प्रभावित होती है। गरासिया बच्चे जल्दी ही परिपक्व हो जाते हैं। पुत्रियाँ घरेलू कार्य में अपनी माता की सहायक होती हैं, विशेष रूप से भोजन की प्रक्रिया में। इसके अतिरिक्त लकड़िया एकत्रित करके लाना, पानी भरना व छोटे भाई-बहनों की देखभाल का कार्य भी करती हैं। लड़कियां धनुष बाण विद्या में भी पारंगत होती हैं। लड़के व लड़कियाँ दोनों ही जंगल में पशुओं को

प्राध्यापक, समाजशास्त्र, एस.एस. जी. पारीक पी. जी. कौलेज, जयपुर

चराने के लिये जाते है संध्या को जब वे घर वापस आते हैं तो लड़कियां अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रख कर लाती हैं परन्तु लड़के ऐसा नहीं करते है। गरासिया लड़कों का मानना है कि बोझ को उठाने का कार्य केवल लड़कियों का ही होता है।

गरासिया जनजाति में पुत्रियां भी पुत्रों की तरह गाँव में कहीं भी आने जाने के लिये स्वतंत्र हैं। वे लड़कों के साथ मित्रता भी रख सकती है। अपने जीवन साथी का चयन भी वह स्वयं कर सकती है, विवाह साथी के चयन में इस तथ्य का अवश्य ध्यान रखा जाता है कि वह अपने गोत्र के लडके का चयन न करे। विवाह पूर्व व पश्चात विवाह सम्बंध भी गरासिया जनजाति में प्रचलित है। विवाह पूर्व यदि लड़की गर्भवती हो जाती है व संतान के लिए जिम्मेदार पुरुष यह स्वीकार कर लेता है कि बच्चा उसी का है, तो विवाह के लिये स्वीकृति मिल जाती है अर्थात् विवाह के लिये लड़के व लड़की की रजामंदी आवश्यक है।

गरासिया जनजाति में प्रेम विवाह का प्रचलन बहुत अधिक है। बाल विवाह इस जनजाति में नहीं पाये जाते हैं। यद्यपि विधिवत विवाह भी प्रचलन में हैं किन्तु खर्चीले व महंगे होने के कारण पसंद नहीं किये जाते है। प्रेम विवाह व विधिवत, दोनों ही विवाहों में वधूमूल्य दापा देने की व्यवस्था आज भी विद्यमान है। इस व्यवस्था में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को जाति पंचायत की सलाह के पश्चात धनराशि दीजाती है। वधूमूल्य कन्या की व्यक्तिगत सुन्दरता व बाहरी गुणों पर आधारित न होकर उसकी स्वच्छता, कठिन परिश्रमी, मजबूत कार्य क्षमता व प्रजनन क्षमता के आधार पर तय होती है, अत: उस कन्या के पिता को वधूमूल्य अधिक मिलता है जो उपर्युक्त गुणों से युक्त होती है। कई बार वधूमूल्य विवाह के दो या तीन वर्षो पश्चात भी अदा किया जा सकता है। गरासिया समुदाय में सामान्यत: एक विवाह किया जाता है, परन्तु सम्पन्न पुरूष दो या तीन पत्नियाँ भी रखते हैं। संतान नहीं होने पर पति द्वारा दूसरा विवाह किया जाता है, इसके विपरीत बहुत मामलों में यह भी पाया गया है कि पहली पत्नी द्वारा बहुत सी संतानों को जन्म देने के पश्चात भी पति ने दूसरा व तीसरा विवाह कर लिया गया है।

गरासिया परिवार में पुत्री, पुत्रवधु एवं माता की प्रस्थिति में बहुत अन्तर दिखाई पड़ता है। विवाह सम्बंध व रक्त सम्बंधों के आधार पर निर्मित व निर्धारित नियम इन तीनों को भिन्न-भिन्न प्रकार की परिस्थितियां प्रदान करते है जो पुत्रवधु व माता के संदर्भो में परदा, उठने-बैठने के तौर तरीके, भोजन सम्बंधी बनाना व उपभोग व्यवस्थाओं में देखा जा सकता है। पुत्रवधु व माताएं गाँव में घूमने के लिये स्वतंत्र नहीं होती, किसी कारणवश यदि जाना बहुत ही आवश्यक है तो वे परदे में जाती हैं। पति के गांव में पत्नियां अन्य पुरूषों के सामने खाट, माचा पर नहीं बैठती हैं यदि वे ऐसा करती है तो यह माना जाता है कि वे अपने स्वयं के वंश पिता के वंश को अपने पति के वंश की अपेक्षा अधिक महत्व दे रही है। पुत्र अपनी माता के चूल्हें पर पकाया गया भोजन खा सकता है, परन्तु उसकी पत्नी अपने ही चूल्हें पर पकाया भोजन खा सकती है। विभिन्न अवसरों जैसे मृत्यु भोज, विवाह व धार्मिक उत्सवों में पुरूष ही भोजन बनाते हैं, स्त्रियों को विभिन्न कारणों से धार्मिक अनुष्ठानों में भोजन पकाने हेतु अपवित्र माना जाता है। पुरूष अपनी माता, बहनों व उसके बच्चों के हाथों से बना खाना खा सकते हैं, परन्तु उसकी पत्नी इन रिश्तेदारों द्वारा पकाया खाना नहीं खा सकती है।

गरासिया पत्नियों के अच्छी व बुरी मानने का पैमाना उनके पतियों द्वारा उनके घर व बाहर के कार्यो के मूल्यांकन के पश्चात निर्धारित होता है। पति द्वारा अपनी पत्नी को इसलिये पीटा जाता है कि पत्नी, पति का कहना नहीं मानती अथवा इधर उधर कहीं घूमने चली जाती है। अधिकतर मामलों में समय पर भोजन नहीं पकाना अथवा पानी का मटका खाली होने पर भी पति द्वारा पत्नी को पीटे जाने के मामले प्रकाशित हुए है।

गरासिया समुदाय में तलाक की व्यवस्था भी प्रचलित है। तलाक लेने व देने का आधिकार लड़के व लड़की के माता पिता अथवा उसके भाईयों को होता है। गरासिया महिला को तलाक लेने का अधिकार नहीं है। यदि पति अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहता है तो उसे लड़की के पिता या भाईयों को उनके द्वारा निर्धारित निश्चित राशि अदा करनी पड़ती है, इसके पश्चात वह अन्यत्र विवाह करने के लिये स्वतंत्र हो जाती है। उस स्त्री के दूसरे पुरूष से विवाह करने पर जो भी वधू मूल्य मिलता है वह उसका पिता ले लेता है, अर्थात् स्त्री को कुछ भी धन राशि नहीं मिलती है। दूसरी व्यवस्था में यदि पत्नी स्वयं विवाह विच्छेद करना चाहती है तो उसके पिता को दुगना वधू मूल्य उसके पति को लौटाना पड़ता है। वधू मूल्य जब तक अदा नहीं कर दिया जाता, तब तक स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर सकती है।

गरासिया महिलायें अपने पति के समान ही आर्थिक गतिविधियों में भागीदार होती हैं। महिलाओं को घर व खेत पर कार्य के साथ-साथ मजदूरी का कार्य भी करना पड़ता है। गरासिया महिलायें बहुत परिश्रमी होतीहैं तथा पुरूष बहुत कम परिश्रम करना पसंद करते हें। गरासिया महिलायें अपने परिवार को पूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।

गरासिया महिला को मातृत्व व संतान जन्म एक विशेष सम्मान व प्रस्थिति प्रदान करता है, महिला के संतान नहीं होने की स्थिति में पुरूष दूसरा विवाह करने को स्वतंत्र होता है। माता की भूमिका गरासिया महिला का कार्यभार व जिम्मेदारियां बढ़ाती है। पहले बच्चे के जन्म के पश्चात गरासिया माता अपने घर के निकट ही खेत में काम करती है। दूसरे, तीसरे व अन्य बच्चों के जन्म के पश्चात, माता

के काम पर जाने के कारण छोटे भाई बहिनों की जिम्मेदारी बड़े भाई बहिनों पर छोड़ दी जाती है। बहुत से मामलों में यह भी पाया गया है कि गरासिया पुरूष अपनी पत्नी को अकेले दूर स्थानों पर काम करने नहीं भेजते हैं। गरासिया समुदाय में विवाह पश्चात वैवाहिक सम्बन्धों सम्बंधी सम्भावना के कारण गरासिया पुरूषों का यह भी मानना है कि पूर्ण परिवार की रचना हो जाने के पश्चात महिलायें अपनी संतानों से भावनात्मक लगाव के कारण घर व बच्चों की जिम्मेदारियाँ पूर्ण करने में व्यस्त हो जायेगी तथा तब अन्य पुरूषों से सम्बन्ध स्थापित होने की संभावना लगभग शून्य होती है। अत: 5-6 बच्चों के जन्म के पश्चात गरासिया माता अपने गाँव के नजदीक स्थानों पर स्थिति कारखानों व निर्माण कार्यो में मजदूरी कर सकती है।

आदर्श परिवार की स्थापना में गरासिया माता का जल्दी जल्दी व एक के बाद एक संतान जन्म, स्वास्थ्य के लिये घातक सिद्ध होता है अत: गरासिया समाज में महिला मृत्यु दर व बाल मृत्यु दर भी अधिक है। माता व शिशु मृत्यु के लिये गरासिया समाज में जिम्मेदार कुछ परिस्थितयां यथा कुपोषित गरासिया माता, प्रतिरोधात्मक टीके न लगाना, माता की कमजोरी, गर्भावस्था में अत्यधिक कार्य का भार, स्वास्थ्य की उपेक्षा, अवकाश का अभाव, अंधविश्वास पुरातन पद्धतियों द्वारा प्रसव की क्रिया सम्पन्न कराना,प्रसव के समय की अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियां तथा परिवार नियोजन के साधनों को न अपनाना है। पत्नियों को अधिक स्वतंत्रता नहीं मिलने के कारण वे अपने स्वास्थ्य सम्बन्धी रोगों के प्रति भी अनभिज्ञ रहती हैं व उचित इलाज भी नहीं करवा पाती हैं, सम्पूर्ण मामलों में नियंत्रणपति का ही होता है। परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने के मामलों में भी निर्णय का अधिकार पति को ही है, गरासिया पुरूष ये साधन नहीं अपनाते हैं। स्त्रियां कुछ साधनों को अपननाने लगी है परन्तु कार्यभार के कारण उन्हें समय पर लेना भूल जाती है। गरासिया समाज स्त्रियों के ऑपरेशन कराने पर सहमत नहीं है।

गरासिया महिला की दिनचर्या ही उसका सम्पूर्ण समय ले लेती है, उसके पास स्वयं के लिये कोई अवकाश ही नहीं होता है। सूर्योदय से पूर्व ही उसकी दिनचर्या प्रारम्भ होकर रात्रि तक चलती है। खेतों पर हल चलाने के व फसल बेचने के अतिरिक्त सभी परिश्रम के कार्य वह ही करती है। गरासिया पुरुष आलसी व सुस्त होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। गरासिया अर्थव्यवस्था में महिलाओं का पूर्ण योगदान होने के बावजूद भी स्त्रियों व कन्याओं का सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं होता है। यदि किसी परिवार में संतान नहीं होती तो पुरुष के भाईयों की संतान पुत्र को गोद लिया जाता है तथा उसे सम्पत्ति का वारिस बनाया जाता है। संतान गोद नहीं लिये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण पारिवारिक सम्पत्ति हो जाती है।

परम्परागत जाति पंचायत में गरासिया महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। यह जाति पंचायत विवाह सम्बन्धी मामले, तलाक सम्बन्धी निर्णय, चोरी, हत्या सम्बन्धी दण्ड, लड़ाई-झगड़े वधू मूल्य,गोद लेने आदि के मामले तय करती है। इस जाति पंचायत में परम्परागत पटेल, प्रधान व पंचों द्वारा विभिन्न विवादों का निर्णय किया जाता है। पंचायत द्वारा आर्थिक व शारीरिक दण्ड भी दिये जाते हैं। संविधान द्वारा पंचायतों में स्त्रियों को प्रतिनिधित्व दिये जाने के कारण कुछ महिलायें गाँव पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, परन्तु अन्तिम रूप से सभी निर्णय गाँव के पुरुषों द्वारा ही लिये जाते हैं।

गरासिया महिलायें धार्मिक उत्सवों, पूजा आदि में भाग नहीं ले सकती है वे अकेले पति के साथ के अतिरिक्त मंदिर भी नहीं जा सकती हैं, व कोई भी धार्मिक अनुष्ठान उनके द्वारा सम्पन्न नहीं किया जा सकता है। यदि वे अकेले कुछ धार्मिक कार्य सम्पन्न करती हैं तो समाज में उन्हें काले जादू अर्थात् विनाशक जादू से सम्बन्धी गतिविधि माना जाता है। समाज द्वारा उन्हें शंका की दृष्टि से देखा जाता है तथा डायन समझकर विभिन्न प्रकार के दण्ड दिये जाते हैं।

त्यौंहार व मेले ही गरासिया जनजाति के मनोरंजन का साधन हैं, जिन्हें वे उल्लास व उमंग के साथ मनाते हैं। इन अवसरों पर गरासिया पुरुष व महिला दोनों ही विभन्न प्रकार के नृत्य करते हैं। इन मेंलो में ये लोग अपने जीवन साथी का भी चयन कर लेते हैं, इस दृष्टि से मेलों का इनके जीवन में विशेष महत्त्व है। गरासिया लोगों के लिये बाजार का भी बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। बाजार वह स्थान हैं, जहाँ ये समुदाय सामान खरीदने व बेचने जाते हैं। बाजार में गरासिया महिला परदा नहीं करती, यहाँ विभिन्न, गाँवों की महिलायें एक दूसरे से मिलकर बातें करतीहैं व हंसी मजाक करती है तथा गरासिया पुरुषों से भी मिलती है। यही कारण है कि पतियों द्वारा अपनी युवा पत्नियों का अकेले बाजार जाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

एक गरासिया महिला की आयु बढ़ने तथा अपनी प्रजनन क्षमता द्वारा संतानों के जन्म दिये जाने तथा अपनी घरेलू व बाहरी कार्यक्षमता द्वारा, पति द्वारा उसको पत्नी के रूप में स्वीकार किये जाने की संभावनाएें बढ़ती जाती है। एक गरासिया महिला के माता, सास व दादी बनने पर परिवार में उसकी प्रस्थिति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है तथा उसे उच्च प्रस्थिति मिलती है। अधिक आयु की महिला का कार्यभार युवा महिला की तुलना में बहुत कम हो जाता है। वृद्ध पुरुष तो खाट पर बैठे या सोते रहते हैं, परन्तु फिर भी वृद्ध गरासिया महिलायें थोड़ा बहुत घरेलू कार्य व छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं। वृद्ध महिलायें गाँव में कहीं भी घूमने के लिये स्वतंत्र होती है।

गरासिया समाज में, पति की मृत्यु के पश्चात महिला को अपने भाई या पिता के घर पर ही रहना होता है। यदि विधवा महिला के विवाह को कम समय हुआ है, अथवा वह प्रजनन में समर्थ हैं तो निश्चित रूप से उसका दूसरा विवाह हो जाता है। अधिक उम्र की विधवा महिला की स्थिति दुविधापूर्ण होती है वह अपने भाई के घर इसलिये नहीं जा सकती क्योंकि उसका भाई भी अपने भरण पोषण के लिये पुत्रों पर आश्रित होता है। गरासिया महिला यद्यपि अपने पति के घर रह सकती है, परन्तु इस स्थिति मे ं पति के पुत्रों का यह कर्त्तव्य नहीं हैं कि वे उसका भरण पोषण करें। पति की मृत्यु होने पर विधवा महिला का अपने पति से कानूनी बंधन टूट जाता है तथा पति के वंश का कोई भी सदस्य उसकी देखभाल के लिए बाध्य नहीं होता है।

गरासिया महिलायें गरासिया समाज में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। यद्यपि इस समाज में पुत्र व पुत्री में कोई भेदभाव नहीं समझा जाता व बालविवाह जैसी प्रथा भी प्रचलित नहीं हैं परन्तु घरेलू व घर के बाहरी मामलों में निर्णय का अधिकार पुरूष का ही है। कारण स्पष्ट है कि गरासिया महिलाओं में अशिक्षा, अंधविश्वास, बाहरी वातावरण या बाहरी संस्कृति का बहुत कम ज्ञान व पुरुष के साथ किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा का न होना है। यद्यपि महिलायें पुरुषों की अपेक्षा अधिक कार्य करती हैं व अपनी आमदनी का अधिक हिस्सा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यय करती हैं, फिर भी उसे पुरुषों से अलग समझा जाता है तथा उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं व कानूनी हक की प्राप्ति में वरियता नहीं दी, इसीलिये वे अपना स्तर नहीं बढा पा रहीं हैं। जेकबसन 1992, डांडा, 1996 : 447-428 निष्कर्ष यही निकलता है कि गरासिया समाज में संरचनात्मक रूप से महिला की निम्न स्थिति है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके साथ भेदभाव किया जाता है तथा परम्पराऐं व प्रथाओं द्वारा उन्हें निम्न स्थान दिया जाता है। विभिन्न सामाजिक गतिवधियों में पुरुषों व महिलाओं की भागीदारी में पूर्णत: असंतुलन दिखाई पड़ता है सभी महत्त्वपूर्ण मामलों में पुरुषों का वर्चस्व दृष्टिगोचर होता है।

गरासिया महिलाओं की स्थिति को उन्नत करने व विकास की प्रकिया में भागीदारी देने के लिये तथा उन्हें अधिकारों से अवगत कराने के लिये मानवशास्त्रियों व समाजशास्त्रियों का सहयोग आवश्यक है। इन विद्वानों की कार्यविधियों द्वारा इन क्षेत्रो ंमें किये जाने वाले सरकारी प्रयासों को गति मिलेगी। इस पुनीत कार्य में राजनीतिक इच्छा व समुदाय की स्वयं की भागीदारी, विशेष रूप से पुरुष की भागीदारी द्वारा निश्चित रूप से महिलाओं को अधिकार मिलेंगे व उनकी प्रस्थित गरासिया समाज में उच्च होंगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

डांडा, डी.डी. 1996 वूमेन इन इन्डिया : सरटेन डिस्ट्रीब्यूटिंग इश्यूज पुस्तक एम.के. राहा सम्पादित डायमेंशन ऑफ ह्यूमन सोसायटी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली : एशिया पब्लिशिंग हाउस।

जेकबसन जोडी एल. 1992 रिपोर्ट स्टडी बाई द वर्ल्ड वाच इन्स्टीट्यूट इन द हितावदा, नागपुर, सितम्बर 15।

मजूमदार डी.एन. व टी. एन. मदान, 1956 एन इन्ट्रोडक्शन टू सोशल एन्थ्रोपोलोजी, बम्बई, एशिया पब्लिशिंग हाउस।